

२२^{०५}/_{२५} पत्रावली पेश हुयी। कोर
की उपस्थिति नहीं आयी। वादी व
वादी वकील की बार-बार आज्ञा
लगायी गयी। किन्तु कोर की उप
नहीं आयी। वादी ना ही अपने
साक्ष्य प्राप्त कर रहे हैं। वादी का
साक्ष्य हेतु पूरा में काफी अवसर
दिये जाने के बावजूद साक्ष्य प्राप्त
नहीं किया है। वादी के साक्ष्य प्राप्त
नहीं करने तथा उप नही होने
से पत्रावली अदम्य दायरे व अदम्य
दूरी व ०/१२३ में खारिज
की जाती है। पत्रावली अदम्य दायरे
वाक्य नकार से कर है। वादी
द्वारा दायरे दायरे है।

उपखण्ड अधिकारी
बहरोड़ (कोटपतली-बहरोड़)